डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. चेतराम चांदोलिया पुत्र श्री दयालचन्द जाति रैगर निवासी भैंरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी मकान संख्या 6159 गली संख्या 4 ब्लॉक 1 देव नगर करोलबाग दिल्ली। **— वादी**

बनाम

1. अर्चना राताावाल पत्नि श्री जयपाल राताावाल जाति रैगर निवासी बलेसर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
2. अशोक
3. महावीर
4. राकेश
5. राजेन्द्र
6. विनोद

   (2–6) पुत्रान रामजीलाल

7. जीवणी देवी पत्नि रामजीलाल
8. तीजा देवी पत्नि कन्हैयालाल
9. सीताराम पुत्र कन्हैयालाल

   (2–9) समस्त जाति ब्राह्मण निवासयिान बलेसर तहसील विराटनगर जिला जयपुर

10. सांवली देवी पुत्री कन्हैयालाल पत्नि फूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी बलेसर तहसील विराटनगर जिला जयपुर हाल निवासी तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
11. बनवारी पुत्र सुन्दरलाल जाति रैगर निवासी भैंरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
12. हनुमान सहाय
13. जयराम

    (12–13) पुत्रान शिम्भूदयाल जाति धोबी निवासी बलेसर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

14. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
16. प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान। **— प्रतिवादीगण**

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 76/2019 **दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता वादी** व हाजरी .... मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैराकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि वाके ग्राम नौरंगपुरा के खाता संख्या 388 के हाल खसरा नम्बर 839/0.22, 845/0.23, 846/0.24 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.69 हैक्टेयर का राजस्व बोर्ड के नियमों के अनुसार बाहमी बंटवारा वादी के हिस्सा 11/138 हिस्से का पृथक से खातेदार

काश्तकार घोषित किया जावें, जिसका अमल दरामद प्रतिवादी संख्या 15 अपने राजस्व अभिलेख में किय जावें, वादी का पृथक से पर्चा खातेदारी बनाया जावे एवं पृथक से लगान निर्धारण किया जावें। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

सुना गया अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	चेतराम पुत्र दयाल चन्द रैगर निवासी भैंरूपुरा	839/1/0.0550 हैक्टेयर
2	अर्चना रातावाल पत्नि जयपाल रातावाल जाति रैगर निवासी बलेसर	839/3/0.02875 हैक्टेयर
3	1. जीवणी देवी पत्नि रामजीलाल हिस्सा 184/2910 जाति ब्राहम्ण 2. महावीर पुत्र रामजीलाल हिस्सा 184/2910 जाति ब्राहम्ण 3. विनोद पुत्र रामजीलाल हिस्सा 184/2910 जाति ब्राहम्ण 4. अशोक पुत्र रामजीलाल हिस्सा 184/2910 जाति ब्राहम्ण 5. राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल हिस्सा 184/2910 जाति ब्राहम्ण 6. राकेश पुत्र रामजीलाल हिस्सा 184/2910 जाति ब्राहम्ण 7. सीताराम पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 46/485 जाति ब्राहम्ण 8. सांवली पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 46/485 जाति ब्राहम्ण 9. तीजा देवी पत्नि कन्हैयालाल हिस्सा 132/2425 जाति ब्राहम्ण 10. जीवणी पत्नि रामजीलाल हिस्सा 132/2425 जाति ब्राहम्ण 11. हनुमान सहाय पुत्र शिम्भूदयाल हिस्सा 328/2425 जाति धोबी 12. जयराम पुत्र शिम्भूदयाल हिस्सा 328/2425 जाति धोबी	839/0.10500, 845/0.2300, 846/0.2400, 839/2/0.03125 हैक्टेयर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

	13. बनवारी लाल पुत्र सुन्दरलाल हिस्सा 5/97 जाति रैगर	

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

(सुनील शर्मा, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021
उप खण्ड क्षेत्र विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक ....शून्य.............................. बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 05.10.2021** को जारी की गई।

(सुनील शर्मा, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021
उप खण्ड क्षेत्र विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(सुनील शर्मा, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021
उप खण्ड क्षेत्र विराटनगर (जयपुर)